न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/06/2023	2023/482	12.05.2023	05.06.2023

1. हरिसिंह पुत्र दलशेर जाति मेव निवासी ग्राम जटियाना तहसील व जिला अलवर राजस्थान।

—अपीलान्ट

बनाम

1. मुहर खां पुत्र कजोड़ा जाति मेव निवासी ग्राम जटियाना तहसील व जिला अलवर राज0।
2. श्योसिंह पुत्र कजोड़ा जाति मेव निवासी ग्राम जटियाना तहसील व जिला अलवर राज0।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार अलवर दिनांक 27.01.2001 बाबत इन्तकाल संख्या 173 वाके ग्राम जटियाना तहसील व जिला अलवर।

उपस्थितः—
01. श्री उदय सिंह —वकील अपीलान्ट
02. श्री दिनेश यादव —वकील रेस्पो0

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार अलवर के आदेश दिनांक 27.01.2001 जिसके द्वारा इन्तकाल संख्या 173 वाके ग्राम जटियाना तहसील व जिला अलवर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली तहत तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि अधीनस्थ न्यायालय ने इंतकाल सं0 173 आराजी खसरा नम्बर 457 रकबा 0.23 है0, 458 रकबा 0.58 है0, 484 रकबा 0.34 है0, 485 रकबा 0.35 है0 वाके ग्राम जटियाना का 1/6 हिस्सा इंतकाल बय का दिनांक 27.01.2001 को बालाबाला बिला अपीलांट को नोटिस जारी किये व बिला अपील के एतराजात समाअत फरमाये व बिला अपीलांट का दस्तावेज पेश करने का मौका दिये गलत तरीके से रैस्पो0 के नाम दर्ज व स्वीकार कर दिया। इंतकाल का इल्म मिन अपीलांट को दिनांक 27.04.203 को उस समय हुआ जब मिन अपीलांट बैंक में अपना बकाया आराजी को रहन रखकर किसान केडिट कार्ड बनवाने के कजए राजस्व रिकॉर्ड की नकल लेने गया। जिस पर उसी दिन राजस्व रिकॉर्ड व इंतकाल की नकल लेने के लिए प्रा0पत्र पेश किया, उसी दिन नकल मिली। नकल मिलने पर मिन अपीलांट, रैस्पो0 से उक्त इन्द्राज को निरस्त करके पुनः इंतकाल

जिला कलक्टर, अलवर

चढवाने का निवेदन किया। तो रैस्पो0 ने उक्त इन्द्राज का दुरूस्त करने से इन्कार कर दिया। इसके बाद अपीलांट ने गांव में जाकर रूपयों पैसों का इंतजाम किया। बिना देरी के अपील पेश की जा रही है। दिनांक 27.04.2023 से पहले अपील आदेश की जानकारी नहीं थी। जिस देरी के बाबत प्रा0पत्र जेर दफा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ–पत्र पृथक से पेश है। अपील दायर करने में हुई उक्त देरी काबिले माफी है। श्रीमान विवादित इंतकाल में वर्णित आराजी मिन अपीलांट का 1/6 हिस्सा यानि 0.25 है0 है। उक्त विवादित आराजी में से रैस्पो0 का मात्र 0.10 है0 बेचान दिनांक 16.07.2001 को फरोख्त किया गया है। जैसा की बयनामा में अंकित किया गया है। अपीलांट द्वारा विवादित आराजी में अपीलांट के 1/6 हिस्सा यानि 0.25 है0 में से मात्र 0.10 है0 का रैस्पो0 का बेचान किया गया है। बकाया आराजी 0.15 है0 पर अपीलांट के कब्जे में मौजूद है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने गलत तरीके से आराजी मुतनाजा का इंतकाल रैस्पो0 के पक्ष में गलत दर्ज व स्वीकार किया गया है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर स्वीकार फरमाई जावे तथा तहत अदालत का निर्णय निरस्त किया जाकर विवादित आराजी अपीलांट के हिस्सा 1/6 में से 0.10 है0 का इंतकाल बय रैस्पो0 के नाम दर्ज किया जावें।

विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपील में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए एवं राजीनामा प्रा0पत्र पेश कर कहा कि अपीलाधीन आराजी में से अपीलांट की हिस्से की आराजी में रेस्पो0 ने मात्र 0.10 है0 का खरीद किया जो जरिये बयनामा दिनांक 16.07.2001 का खरीद किया। जिसका बयनामा दिनांक 21.07.2001 का उप पंजीयक अलवर से पंजीबद्ध कराया गया। जिस बयनामा में मात्र 0.10 है0 रैस्पो0 ने अपीलांट से खरीद की है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलांट के सालिम रकबे का इंतकाल दर्ज कर दिया जा सहवन से हुआ है। इसलिए हम रैस्पो0 का अपीलांट की अपील मन्जूर होने में किसी भी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं है। पक्षकारान् द्वारा लोक अदालत की भावनाओं का मद्देनजर रखते हुए राजीनामा कर लिया है। अतः राजीनामा तस्दीक किया जाकर उक्त इंतकाल निरस्त किया जाकर इंतकाल बय के अनुसार मात्र 0.10 है0 का इंतकाल रैस्पो0 के पक्ष में दर्ज व स्वीकार किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, बहस पर मनन किया, कानून की मंशा देखी गई। अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र दफा–5 कानून मियाद का पेश कर विलम्ब की अवधि को क़न्डोन करने का निवेदन किया है अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 27.04.2023 को होना जाहिर किया है। रेस्पो0 द्वारा इस सन्दर्भ में कोई एतराज नहीं उठाया है। अतः प्रार्थना पत्र में अकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। रैस्पो0 ने राजीनामा प्रा0पत्र पेश कर अपील अपीलांट में वर्णित तथ्यों का स्वीकार करते हुए पुनः इंतकाल जरिये बयनामा दर्ज कर किये जाने

जिला कलक्टर, अलवर

को लेकर अनापत्ति जाहिर की है। उक्त आलोक में अपील अपीलांट स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार अलवर का आदेश दिनांक 27.01.2001 बाबत इन्तकाल संख्या 173 वाके ग्राम जटियाना तहसील अलवर निरस्त किया जाता है। अपील अपीलांट तहसीलदार अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि बयनामा दिनांक 16.07.2001 का भलीभांति अवलोकन कर नियमों के आलोक में पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5/6/2023

(पुखराज सेन)
जिला कलक्टर अलवर
जिला कलक्टर, अलवर